तापमान

भोपाल	23.0°	27.0°
इंदौर	23.0°	29.0°
जबलपुर	24.0°	26.0°
ग्वालियर	27.0°	31.0°
सागर	22.0°	26.0°

नईदुनिया

वर्ष- 80
(भोपालः वर्ष 41 अंक 259, पृष्ठ 12)
श्रावण, शुक्ल षष्ठी संवत् 2083
मंगलवार, 18 अगस्त 2026
कीमतः 3:00 रुपये

www.naiduniaonline.com
भोपाल संस्करण
भोपाल एवं सागर से एकसाथ प्रकाशित

राजधानी... गुरु रविदास जयंती वर्ष के कलश वितरण समारोह ...

खेल... आउटर दिल्ली की जीत के नायक रहे हर्ष त्यागी बोले ...

व्यापार... अगस्त में अब तक सोना 11 हजार और चांदी 18 ...

देश-विदेश... ट्रंप की प्रेस सचिव लेविट का इस्तीफा, बोलीं- ...

65 सदस्यीय कार्यकारिणी में 78% नए चेहरे, वसुंधरा राजे सबसे उम्रदराज और हेमांग जोशी सबसे युवा

भाजपा की नई टीम में 51 नए चेहरे, 12 महिलाएँ

नईदुनिया ब्यूरो, नई दिल्लीः भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने सोमवार को 65 सदस्यीय नई राष्ट्रीय टीम की घोषणा की। इसमें 12 महिलाएं शामिल हैं, जो कुल सदस्यों का करीब 18 प्रतिशत हैं। नई टीम में 51 नए चेहरों को जगह दी गई है, जबकि 14 पुराने नेताओं को दोबारा जिम्मेदारी मिली है। नई राष्ट्रीय टीम में 2027 में विधानसभा चुनाव वाले राज्यों को भी प्रतिनिधित्व दिया गया है। उत्तर प्रदेश से आठ, उत्तराखंड से चार, गुजरात से चार और पंजाब से दो नेताओं को शामिल किया गया है। इन चार राज्यों से कुल 18 चेहरे नई टीम में हैं। वहीं गोवा, मणिपुर और हिमाचल प्रदेश से किसी नेता को टीम में स्थान नहीं मिला है।

अनुभवी नेताओं की वापसी

भाजपा की नई राष्ट्रीय टीम में राम माधव की करीब छह साल बाद वापसी हुई है। उन्हें फिर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है। पीयूष गोयल को राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष की जिम्मेदारी मिली है। उनके मंत्री पद को लेकर अटकलें हैं। स्मृति ईरानी और बिप्लब कुमार देब को राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया है। वहीं दीपक म्हस्के ने अमित मालवीय की जगह पार्टी के आईटी प्रकोष्ठ प्रमुख का पद संभाला है। राष्ट्रीय महामंत्री के पद पर बी.एल. संतोष, शिवप्रसाद और सौदान सिंह को शामिल किया गया है। वहीं सतीश पुनिया को राष्ट्रीय महामंत्री का कार्यभार सौंपा गया है।

महिला नेताओं को जिम्मेदारी

नई कार्यकारिणी में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, महासचिव, सचिव समेत विभिन्न संगठनात्मक पदों पर महिला नेताओं को जिम्मेदारी दी गई है। कुल 65 सदस्यों में 51 नए चेहरों की मौजूदगी से संगठन में बड़े बदलाव का संकेत मिलता है। पिछली टीम के 29 नेताओं को नई राष्ट्रीय टीम में जगह नहीं मिली है। इनमें राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, महासचिव, सचिव और कोषाध्यक्ष सहित विभिन्न पदों पर रहे नेता शामिल हैं। उम्र के लिहाज से राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे नई टीम की सबसे उम्रदराज सदस्य हैं। 17 अगस्त 2026 को उनकी उम्र 73 वर्ष है। वहीं डॉ. हेमांग जोशी 35 वर्ष की उम्र में सबसे युवा सदस्य हैं। दोनों के बीच उम्र का अंतर 38 वर्ष है।

मध्य प्रदेश का दबदबाः लाल सिंह आर्य उपाध्यक्ष, गजेंद्र पटेल महामंत्री; वीडी शर्मा व आशीष अग्रवाल को भी बड़ी जिम्मेदारी

***भोपालः** भाजपा की नई राष्ट्रीय कार्यकारिणी में मध्य प्रदेश के आठ नेताओं को महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां मिली हैं। लाल सिंह आर्य को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, खरगोन सांसद गजेंद्र सिंह पटेल को राष्ट्रीय महासचिव और राज्यसभा सदस्य कविता पाटीदार को राष्ट्रीय सचिव बनाया गया है। खजुराहो सांसद विष्णुदत्त शर्मा को प्रकोष्ठ संकुल का राष्ट्रीय संयोजक बनाया गया है। सौदान सिंह को राष्ट्रीय सह-संगठन महामंत्री और मध्य प्रदेश से राज्यसभा सदस्य तरुण चुघ को राष्ट्रीय कार्यालय प्रभारी की जिम्मेदारी दी गई है। राज्यसभा सदस्य बंसीलाल गुर्जर को किसान मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वहीं आशीष उषा अग्रवाल को राष्ट्रीय मीडिया सह-संयोजक बनाया गया है। लाल सिंह आर्य भाजपा के वरिष्ठ दलित नेताओं में शामिल हैं और मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री रह चुके हैं। गजेंद्र सिंह पटेल खरगोन से लगातार दूसरी बार सांसद हैं। कविता पाटीदार इंदौर जिला पंचायत की अध्यक्ष और भाजपा की प्रदेश महामंत्री रह चुकी हैं। विष्णुदत्त शर्मा वर्ष 2020 से जुलाई 2025 तक मध्य प्रदेश भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रहे। सौदान सिंह पहले राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे। बंसीलाल गुर्जर मध्य प्रदेश भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। नई जिम्मेदारियों के साथ मध्य प्रदेश को भाजपा के राष्ट्रीय संगठन में विभिन्न क्षेत्रों में प्रतिनिधित्व मिला है।*

ट्विशा मामले में 636 पेज का आरोपपत्र दाखिल

गिरिबाला पर दहेज हत्या का केस, 150 गवाहों से पूछताछ

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः मॉडल-एक्ट्रेस ट्विशा शर्मा मौत मामले में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने अदालत में 636 पेज का आरोपपत्र दाखिल किया है। इसमें ट्विशा की सास सेवानिवृत्त न्यायाधीश गिरिबाला सिंह और समर्थ सिंह के खिलाफ दहेज हत्या समेत कई धाराओं में आरोप लगाए गए हैं। जांच के दौरान केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने करीब 150 गवाहों से पूछताछ की। आरोपपत्र और दस्तावेजों की औपचारिक प्रक्रिया अभी पूरी हो रही है। दोनों आरोपियों पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 80(2) के तहत दहेज हत्या, धारा 85 के तहत पति या उसके रिश्तेदार द्वारा महिला के साथ क्रूरता और धारा 108 के तहत आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप लगाए गए हैं। इसके अलावा दहेज के लेनदेन से संबंधित प्रावधानों और दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धाराएं भी लगाई गई हैं।

दिल्ली एम्स के पांच सदस्यीय मेडिकल बोर्ड ने ट्विशा के शव का दोबारा पोस्टमार्टम करने के बाद 10 जुलाई को अपनी अंतिम फोरेंसिक रिपोर्ट केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो को सौंपी थी। इससे पहले 3 अगस्त की सुनवाई में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने आरोपी समर्थ सिंह का आवाज का नमूना लेने और लैपटॉप का पासवर्ड उपलब्ध कराने की मांग की थी। ट्विशा की 12 मई की रात ससुराल में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई थी।

खास-खबरें

राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने कर्मचारियों को हटाया

नईदुनिया ब्यूरो, नई दिल्लीः राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने परीक्षा व्यवस्था में सुधार के तहत 50 से अधिक कर्मचारियों को हटा दिया है। शिक्षा मंत्रालय ने सोमवार को यह जानकारी दी। एजेंसी अब अहम नेतृत्व पदों पर पेशेवरों की नियुक्ति की तैयारी कर रही है। इसके लिए 10 पदों पर विज्ञापन जारी किया गया है। यह बदलाव ऐसे समय हुआ है जब एजेंसी ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा के तीन विषयों के प्रश्नपत्रों में कई गलतियां पाए जाने के बाद संबंधित अभ्यर्थियों के लिए दोबारा परीक्षा कराने का आदेश दिया है। इससे पहले प्रश्नपत्र लीक के आरोपों के बाद चिकित्सा प्रवेश के लिए राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा 2026 रद्द की गई थी।

रूसी मिसाइल हमले में लक्ष्मी मित्तल के स्टील संयंत्र को नुकसान

क्रिवी रिह, एजेंसीः रूस ने शनिवार रात यूक्रेन के अलग-अलग शहरों में मिसाइल हमले किए। क्रिवी रिह शहर में भारतीय अरबपति लक्ष्मी मित्तल की कंपनी आर्सेलरमित्तल के स्टील संयंत्र को भी निशाना बनाया गया। हमले में दो लोगों की मौत हो गई और 13 कर्मचारी तथा ठेकेदार घायल हुए हैं। हमले से यूक्रेन के सबसे बड़े स्टील संयंत्र में उत्पादन प्रभावित हुआ है। संयंत्र की ऊर्जा व्यवस्था और ब्लास्ट फर्नेस से जुड़े महत्वपूर्ण हिस्सों को नुकसान पहुंचा है। इसके चलते उत्पादन का कुछ काम अस्थायी रूप से रोकना पड़ा। हमले के बाद दमकलकर्मी, बचाव दल और चिकित्सा टीमें मौके पर पहुंचीं। राहत और बचाव कार्य जारी है। इस संयंत्र पर रूस पहले भी हमला कर चुका है।

शॉर्ट सर्किट की आशंका, 9 गंभीर घायल; होटल संचालक हिरासत में

होटल में आग, आठ की मौत

नईदुनिया ब्यूरो, बीरभूमः पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में तारापीठ मंदिर के पास सोमवार सुबह एक होटल में आग लगने से आठ लोगों की मौत हो गई, जबकि नौ लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, आग शॉर्ट सर्किट के कारण लगने की आशंका है। घायलों को उपचार के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बीरभूम के पुलिस अधीक्षक विदित राज भुंडेश के अनुसार, होटल के बाहर से शुरुआत में धुआं या आग की लपटें दिखाई नहीं दे रही थीं। पुलिस और दमकल की टीमों ने सीढ़ियों की मदद से 22 लोगों को बाहर निकाला। इनमें से 11 लोगों को अस्पताल भेजा गया। होटल संचालकों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर उन्हें हिरासत में लिया गया है। मामले की जांच के लिए विधि विज्ञान प्रयोगशाला की टीम भी मौके पर पहुंचेगी। हादसे में एक महिला और दो बच्चों के लापता होने की जानकारी भी सामने आई है। होटल में ठहरी एक महिला ने बताया कि अचानक पूरी इमारत में धुआं भर गया और लोगों को बाहर निकलने का रास्ता तलाशने में परेशानी हुई। तारापीठ में सोमवार को बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिर में पूजा के लिए पहुंचे थे। हादसे के बाद राहत और बचाव कार्य किया गया।

नदी में डूबने से सात बच्चों की मौत

पटना। सावन के तीसरे सोमवार को पटना और कटिहार में नदी में डूबने से सात बच्चों की मौत हो गई। पटना के बाढ़ अनुमंडल के बख्तियारपुर थाना क्षेत्र के रानीसराय गांव के पास सोमवार सुबह गंगा स्नान के दौरान सात बच्चियां डूब गईं। इनमें तीन बहनों के शव बरामद किए गए, तीन को स्थानीय लोगों ने बचा लिया, जबकि एक बच्ची लापता है। कटिहार में कमला नदी में डुबकी लगाने गए तीन बच्चों की डूबने से मौत हो गई।

अफवाह से मची अफरा-तफरी, सात महिलाओं की मौत, 23 से अधिक घायल

नईदुनिया ब्यूरो, लखीसरायः बिहार के लखीसराय में सोमवार को मंदिर में जलाभिषेक के लिए जुटी हजारों श्रद्धालुओं की भीड़ में भगदड़ मच गई। हादसे में सात महिलाओं की मौत हो गई, जबकि 23 से अधिक लोग घायल हुए हैं। घायलों में तीन की हालत गंभीर बताई जा रही है। घटना अशोकधाम स्टेशन से मंदिर जाने वाले रास्ते पर हुई। लखीसराय के जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार के अनुसार, पुरुषों की कतार की ओर एक खंभा गिर गया। इसके बाद यह अफवाह फैल गई कि लोगों के ऊपर बिजली की चालू लाइन का तार गिर गया है। हालांकि, वह बिजली का तार नहीं, बल्कि केवल केबल तार था, जिसका इस्तेमाल डिश या इंटरनेट के लिए किया जाता है। अफवाह के बाद पुरुषों की ओर से भीड़ का दबाव महिलाओं की कतार पर बढ़ गया। इससे महिलाएं एक-दूसरे के ऊपर गिरने लगीं और भगदड़ जैसे हालात बन गए। चार मृतकों की पहचान मधुबाला देवी, मनमाला देवी, हेमलता देवी और मुंगेर की रिंकू देवी के रूप में हुई है। हादसे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने दुख जताया है।

नागचंद्रेश्वर मंदिर में भगदड़, 13 लोग घायल

उज्जैनः महाकालेश्वर मंदिर परिसर स्थित नागचंद्रेश्वर मंदिर में सोमवार को करंट फैलने की अफवाह के बाद भगदड़ जैसे हालात बन गए। भीड़ के दबाव में लोग एक-दूसरे के ऊपर गिर पड़े, जिससे 13 श्रद्धालु घायल हो गए। तीन को उज्जैन जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जबकि 10 को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई। पुलिस के अनुसार, करीब 40 हजार श्रद्धालु दर्शन के लिए कतार में हैं। अब तक करीब 5.50 लाख श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं।

प्रदेश में बनेंगे 11 औद्योगिक पार्क

▸▸ मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने नई दिल्ली में औद्योगिक निवेश और अधोसंरचना पर रखा प्रदेश का विजन

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सोमवार को नई दिल्ली में राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास एवं कार्यान्वयन ट्रस्ट की तीसरी शीर्ष निगरानी प्राधिकरण की बैठक में मध्यप्रदेश की औद्योगिक प्रगति, निवेश संभावनाओं और आधुनिक औद्योगिक अधोसंरचना से जुड़े विषयों पर राज्य सरकार का विजन रखा।

उन्होंने बताया कि प्रदेश को प्रमुख औद्योगिक और निवेश केंद्र बनाने के लिए निवेश-अनुकूल नीतियों, प्लग-एंड-प्ले सुविधाओं और आधुनिक अधोसंरचना के विकास पर जोर दिया जा रहा है। बैठक में भारत औद्योगिक विकास योजना के तहत मध्यप्रदेश ने पहले चरण के पहले दौर में 11 औद्योगिक पार्कों के प्रस्ताव प्रस्तुत किए। इनका कुल क्षेत्रफल 9,047.08 एकड़ और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट की कुल लागत 8,144.35 करोड़ रुपये है। प्रस्तावित पार्क उज्जैन, धार, देवास-शाजापुर, रतलाम, सीहोर, सागर, गुना, ग्वालियर, जबलपुर, कटनी और रीवा में विकसित किए जाएंगे। इन औद्योगिक पार्कों में वस्त्र, औषधि, वाहन, नवीकरणीय ऊर्जा उपकरण, अर्धचालक, सूचना प्रौद्योगिकी और सूचना प्रौद्योगिकी आधारित सेवाओं जैसे क्षेत्रों को बढ़ावा दिया जाएगा।

निवेशकों का विश्वास बढ़ रहाः डॉ. यादव

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने सोशल मीडिया 'एक्स' में कहा कि हमारी सरकार ने केंद्र सरकार की 'भव्या' योजना (भारत औद्योगिक विकास योजना) के माध्यम से उद्योग विकास के कुछ प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं। प्रदेश में पर्याप्त लैंडबैंक के साथ बिजली एवं नवकरणीय ऊर्जा की पर्याप्त उपलब्धता है। राज्य में निवेशकों का विश्वास लगातार बढ़ रहा है। हमने 25 से अधिक नई औद्योगिक नीतियों के माध्यम से व्यापार एवं उद्योगों के लिए प्रक्रियाओं को सरल, पारदर्शी और सुगम बनाया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अपने जन्मदिन के अवसर पर देश के पहले 'पीएम मित्र पार्क' का भूमिपूजन किया था, जिसका कार्य बड़ी तेजी से प्रगति की ओर है। केंद्रीय मंत्रीगण ने इस पर प्रसन्नता व्यक्त की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्यप्रदेश ने देश-दुनिया के सभी निवेशकों का विश्वास जीता है और आज मध्यप्रदेश पूरे देश में निवेशकों के सर्वाधिक पसंदीदा डेस्टिनेशन के रूप में उभर रहा है।

रनवे ले जाते समय हुआ हादसा, पायलट और प्रशिक्षु एनसीसी कैडेट सुरक्षित

एयरपोर्ट पर विमान से ग्राउंड वाहन टकराया

नईदुनिया ब्यूरो, जयपुरः जयपुर अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे पर सोमवार सुबह एक माइक्रोलाइट विमान को रनवे की ओर ले जाते समय ग्राउंड हैंडलिंग वाहन ने टक्कर मार दी। हादसे में विमान क्षतिग्रस्त हो गया, हालांकि उसमें सवार विंग कमांडर पायलट और प्रशिक्षु एनसीसी कैडेट सुरक्षित रहे। घटना सुबह करीब नौ बजे की बताई गई है। विमान को प्रशिक्षण उड़ान के लिए पार्किंग क्षेत्र से हवाई पट्टी की ओर ले जाया जा रहा था। इसी दौरान ग्राउंड हैंडलिंग एजेंसी इंडोथाई का वाहन भी हवाईअड्डा परिसर में आवाजाही कर रहा था। दोनों के बीच टक्कर हो गई। हादसे के बाद हवाईअड्डे पर मौजूद अधिकारियों और कर्मचारियों में हलचल मच गई। विमान और वाहन को सुरक्षित किया गया तथा संबंधित अधिकारियों को घटना की जानकारी दी गई। विमान को दोबारा उड़ान के लिए तैयार करने से पहले तकनीकी जांच की जाएगी। प्रारंभिक तौर पर हादसे के पीछे ग्राउंड वाहन प्रबंधन में चूक की आशंका जताई जा रही है। हालांकि घटना का वास्तविक कारण जांच के बाद ही स्पष्ट होगा। जांच में यह देखा जा रहा है कि विमान और ग्राउंड वाहन की आवाजाही के दौरान निर्धारित सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन हुआ था या नहीं।

वंदे मातरम् के अपमान का आरोप

राहुल-सोनिया के विरुद्ध शिकायत, जांच शुरू

नईदुनिया ब्यूरो, नई दिल्लीः वंदे मातरम् के कथित अपमान को लेकर कांग्रेस नेताओं राहुल गांधी और सोनिया गांधी के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। एक वकील ने 16 अगस्त को आईपी एस्टेट थाने में शिकायत देकर दोनों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की थी। शिकायत में 15 अगस्त को कांग्रेस मुख्यालय में वंदे मातरम् गायन के दौरान सोनिया गांधी के कुछ इशारों का उल्लेख किया गया है।

शिकायत में एक वीडियो का भी जिक्र है, जिसमें राहुल गांधी के कथित तौर पर वंदे मातरम् नहीं गाने की बात कहने का दावा किया गया है। हालांकि, अभी मामले में प्राथमिकी दर्ज नहीं हुई है और पुलिस प्रारंभिक जांच कर रही है।

उधर, कर्नाटक में भी भाजपा नेताओं ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ पुलिस शिकायतें दी हैं। बेंगलुरु और मंगलुरु में दी गई शिकायतों में वंदे मातरम् के कथित अपमान पर कार्रवाई की मांग की गई है। इन शिकायतों पर अभी प्राथमिकी दर्ज नहीं हुई है।

भाजपा नेताओं ने राहुल और सोनिया गांधी से माफी मांगने की मांग की है। उनका कहना है कि वंदे मातरम् से जुड़ी भावनाओं का सम्मान किया जाना चाहिए। यह विवाद ऐसे समय सामने आया है जब वंदे मातरम् को वैधानिक संरक्षण देने वाले नए कानून को लेकर चर्चा है। नए प्रावधानों के तहत जानबूझकर वंदे मातरम् के अपमान या उसके गायन में बाधा डालने पर तीन साल तक की सजा, जुर्माना या दोनों का प्रावधान बताया गया है।

हवाई किराया नियम को 7 दिन में अंतिम रूप देने के निर्देश

नईदुनिया ब्यूरो, नई दिल्लीः हवाई किराए से जुड़े नियमों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को सात दिन के भीतर अंतिम नियम प्रकाशित करने का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने सोमवार को सुनवाई के दौरान कहा कि यदि एयरलाइंस नियमों का पालन नहीं करती हैं तो उनके विमानों को जमीन पर खड़ा किया जा सकता है। केंद्र सरकार ने अदालत को बताया कि भारतीय वायुयान अधिनियम, 2024 के तहत नियम बनाने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। सरकार ने नियमों का मसौदा सीलबंद लिफाफे में अदालत के सामने रखा और बताया कि उस पर अंतिम चर्चा चल रही है।

अपराध *सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामे में सामने आए आंकड़े, सांसदों-विधायकों पर 4,000 से अधिक प्रकरण*

326 सांसदों और 14 मुख्यमंत्रियों पर आपराधिक मामले

नईदुनिया ब्यूरो, नई दिल्लीः राजनीति के अपराधीकरण से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामे में सांसदों और विधायकों के खिलाफ लंबित आपराधिक मामलों की जानकारी दी गई है। वरिष्ठ अधिवक्ता विजय हंसारिया ने यह हलफनामा दाखिल किया। इसमें बताया गया कि लोकसभा के 543 सदस्यों में से 251 और राज्यसभा के 233 सदस्यों में से 75 के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं। इस तरह कुल 326 सांसदों के खिलाफ मामले हैं।

हलफनामे के अनुसार, सांसदों और विधायकों के खिलाफ कुल 4,192 आपराधिक मामले लंबित हैं। 28 राज्यों में से 14 राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने भी अपने खिलाफ आपराधिक मामले घोषित किए हैं। इनमें गंभीर प्रकृति के मामले भी शामिल हैं। मुख्यमंत्रियों में तेलंगाना के रेवंत रेड्डी के खिलाफ 89 मामले दर्ज हैं। इसके बाद पश्चिम बंगाल के सुवेंदु अधिकारी के खिलाफ 29 और कर्नाटक के डीके शिवकुमार के खिलाफ 19 मामले हैं।

हलफनामे में एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स के आंकड़ों का हवाला देते हुए बताया गया कि लोकसभा के 251 सदस्यों के खिलाफ दर्ज मामलों में 170 गंभीर प्रकृति के हैं। इनमें पांच वर्ष या उससे अधिक सजा का प्रावधान हो सकता है। राज्यसभा के 75 सदस्यों में 40 के खिलाफ गंभीर मामले हैं। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, केरल के 20 में से 19 सांसदों के खिलाफ आपराधिक मामले हैं। इनमें 11 सांसद गंभीर मामलों का सामना कर रहे हैं। तेलंगाना के 17 में से 14, ओडिशा के 21 में से 16, झारखंड के 14 में से 10 और तमिलनाडु के 39 में से 26 सांसदों के खिलाफ मामले हैं।

उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, बिहार, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में भी करीब आधे सांसदों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। मध्य प्रदेश के 29 में से नौ सांसदों के खिलाफ आपराधिक मामले हैं। गुजरात के 25 में से पांच, राजस्थान के 25 में से चार और दिल्ली के सात में से तीन सांसदों पर मामले दर्ज हैं। पंजाब के 13 में से दो, असम के 14 में से तीन और छत्तीसगढ़ के 11 में से एक सांसद के खिलाफ आपराधिक मामला है। हलफनामे के अनुसार, वर्ष 2025 में 1,243 आपराधिक मामलों का निपटारा हुआ, जबकि इसी दौरान 1,050 नए मामले दर्ज हुए। इसके चलते लंबित मामलों की संख्या में अपेक्षित कमी नहीं आई। विजय हंसारिया ने सांसदों और विधायकों के मामलों की जल्द सुनवाई के लिए विशेष अदालतों को सुनवाई तक सीमित रखने की मांग की है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से मामलों की निगरानी जारी रखने की आवश्यकता बताई। यह मामला अश्विनी उपाध्याय की जनहित याचिका से जुड़ा है। नौ नवंबर 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने सांसदों और विधायकों के खिलाफ लंबित आपराधिक मामलों की सुनवाई तेज करने हाईकोर्ट को विशेष पीठ गठित करने का निर्देश दिया था।